निर्णय बईजलास अजय सिंह राठौड़ आई0ए0एस0 जिला कलक्टर, झालावाड़

मि0न0 04 / प्रा0पत्र / 23 तारीख दायरा 17.01.2023

उनवान प्रा0पत्र

राज0 सरकार जरिये जिला रसद कार्यालय झालावाड़ प्रार्थी

बनाम

श्री सुरेश राठौर आत्मज श्री बालचंद

नि0 रातादेवी रोड़ असनावर झालावाड़, अप्रार्थी

प्रा0अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत जब्त 10 अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर तथा ऐकगैस रिफलिंग वाली मोटर मय पाईप को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः– पेरोकार रसद

–: निर्णय :– दिनांकः 06.03.2024

यह प्रा0पत्र प्रर्वतन अधिकारी जिला रसद कार्यालय झालावाड़ के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत पेश किया गया है। प्रा0पत्र मेंमों में निवेदन किया है कि दिनांकः 16.12.2022 को प्रर्वतन अधिकारी मय स्टाफ मौका स्थल पर पहुंचे जंहा घरेलू गैस सिलेंडर का दुरूपयोग एवं अवैध रूप से भण्डारण किया जाना प्रतीत होना पाया गया। मौके पर अप्रार्थी सुरेश राठौर आत्मज श्री बालचंद नि0 रातादेवी रोड़ असनावर झालावाड उपस्थित मिले। वक्त जांच तलाशी लेने पर 10 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर 10 एचपीसीएल कम्पनी के तथा गैस भरने मे काम आने वाली 01 मोटर मय पाईप का भण्डारण होना पाया गया। जब्त 10 सिलेण्डर एचपीसीएल कम्पनी के मेसर्स एचपी ग्रामीण वितरक आमेठा के मेनेजर श्री जितेन्द्र यादव की सुपुर्दगी में दिये गये। फर्द मौका जब्ती एवं सुपुर्दगीनामा मौके पर अलग से बनाया गया। अनुदानित घरेलू गैस का अवैध उपयोग करके LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लाज 3(1) (सी), 4(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जप्तशुदा उक्त सामग्री को राजसात करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया अप्रार्थी की ओर वकील श्री महेश पाटीदार द्वारा दिनांकः 02.02.2023 को वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत कर अंकन किया कि अप्रार्थी के यहां से जप्त गैस सिलेण्डर गरीब मजदूरों के है जो दिनभर मजदूरी करने जाते हैं तथा अप्रार्थी का मकान रोड़ पर होने के कारण भरने हेतु उसके घर रख जाते है और अप्रार्थी मानवता के नाते उनके सिलेण्डर भरवाकर रखता है ताकि उन्हे शाम को मजदूरी कर लौटते समय भरे सिलेण्डर मिल सके। अप्रार्थी ने किसी भी तरह का भण्डारण नहीं किया है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही ड्राप फरमाकर जो सिलेण्डर जब्त किये गये हैं वापस दिलवाने के आदेश फरमावें।

बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी दौराने बहन उपस्थित नहीं होने से उनका पक्ष नहीं सुना जा सका। पेरोकार रसद द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि प्रवर्तन स्टाफ घरेलू गैस सिलेंडरों व अन्य सामग्री के अवैध व्यवसायिक उपयोग रोकने के लिए जांच हेतु मौका स्थल पर पंहुचे। वक्त जांच तलाशी लेने पर 10 घरेलू एलपीजी

जिला कलक्टर
झालावाड़

सिलेण्डर 10एचपीसीएल कम्पनी के तथा गैस रिफलिंग में काम ली जाने वाली 01 मोटर मय पाईप का भण्डारण होना पाया गया। जिस हेतु मांग करने पर भण्डारण संबंधित किसी भी तरह का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया। अप्रार्थी द्वारा सिलेण्डर का अवैध व्यवसायिक उपयोग करके LPG(REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लाज 3(1) (सी),4(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत अभिग्रहित सामान को राजसात किया जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। प्रवर्तन स्टाफ द्वारा अप्रार्थी के यहां की गई कार्यवाही के दौरान तलाशी लेने पर 10 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर एचपीसीएल कम्पनी के तथा गैस भरने वाली 01 मोटर मय पाईप का भण्डारण होना पाया गया। जिस हेतु मांग करने पर भण्डारण संबंधित किसी भी तरह का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया, जबकि घरेलु गैस सिलेण्डर घरेलू उपभोक्ताओं के उपयोग के लिये है, दौराने तलाशी गैस सिलेण्डर के साथ गैस रिफलिंग वाली मोटर का मिलना यह जाहिर करता है कि अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध व्यवसायिक उपयोग करता है। अप्रार्थी द्वारा बिना किसी वैध दस्तावेज के 10 घरेलू गैस सिलेण्डर व गैस रिफलिंग वाली मोटर को रखना घरेलू गैस सिलण्डर का अवैध रूप से दुरूपयोग करने की श्रेणी में आता है। इस प्रकार यह साबित है कि अप्रार्थी द्वारा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रूप से गैस सिलेण्डर से रिफलिंग का कार्य किया जाता है। अप्रार्थी का यह कृत्य LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लाज 3(1) (सी), 4(1)(सी) का स्पष्ट उल्लघंन है। अप्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावजी साक्ष्य मान्य नही है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 10 घरेलू एलपीजी एचपीसीएल कम्पनी के तथा गैस भरने में काम ली जाने वाली 01 मोटर को राजसात किया जाता है, साथ ही राजसात किये गये गैस सिलेण्डरों को संबंधित तेल/गैस कम्पनी को लोटाये जाने तथा इनको नये जारी होने वाले गैस कनेक्शनों के उपभोक्ताओं को जारी कर इससे प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कराये जाने का आदेश दिया जाता है। जब्त मोटर का विधि द्वारा सुस्थापित प्रकियानुसार निस्तारण किया जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांकः 06.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6.03

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner